

INDIAN STATISTICAL INSTITUTE
203, B. T. ROAD, KOLKATA : 108



No.C102/RBC

07 November 2023


OFFICE MEMORANDUM

Sub : Grant of Dearness Relief to CPF beneficiaries in respect of the Recipients of Ex-gratia payment of the Institute. Revised rate effective from **01 January 2023**.

A reference is invited to this Office Memorandum No.C 150/RBC dated 19 December 2022 on the subject cited above. Pursuant to the decision of the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare, as communicated in their O.M. F. No.42/04/2023-P & PW (D), dated 06 July 2023 as well as Ministry of Statistics and Programme Implementation, vide its O.M. No.I-12011/17/2016-ISI (Part-I) dated 22 October 2018 & O.M. No.I-12011/17/2016-ISI (Part-I) dated 09 October 2018, as resolved by the Council of the Institute in its meeting held on 22 December 2020, the rates of Dearness Relief payable to the Recipients of Ex-gratia payment @ Rs.600/- & Rs.605/- per month of the Institute will be enhanced at the rate mentioned below with effect from **01 January 2023**.

2. The surviving CPF beneficiaries who have retired from service between the period 18.11.1960 to 31.12.1985 and are in receipt of Ex-gratia @ **Rs.600/-** per month with effect from 01.11.1997 in terms of Institute O.M. No.C2529/RBC dated 01.07.1998 & revised to **Rs.3000, Rs.1000, Rs.750 & Rs.650** for Group A, B, C & D respectively w.e.f. 04 June 2013 vide Institute O.M. No.C18/RBC dated 10.04.2014 shall be entitled to enhanced Dearness Relief from **396% to 412%** with effect from **01 January 2023**.
3. The widows and dependent children of the CPF beneficiaries who had retired from service prior to 01.01.1986 or who had died while in service prior to 01.01.1986 and are in receipt of Ex-gratia payment of **Rs.605/-** p.m. in terms of Institute O.M. No.C2529/RBC dated 01.07.1998 & revised to **Rs.645/-** p.m. with effect from 04 June 2013 vide Institute O.M. No.C18/RBC dated 10.04.2014 shall be entitled to enhanced Dearness Relief from **388% to 404%** with effect from **01 January 2023**.
4. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

This issues with the approval of the Director.


(Ravinder Kumar)
Chief Executive (A & F)

- Copy to :
1. Heads of all Divisions/Departments/Sections/Units etc. and Outlying Centres/Offices etc.
 2. Retirement Benefit Cell.
 3. Personnel Unit.
 4. Accounts Section with 2 extra copies.
 5. Director's Office.
 6. CE (A & F)'s Office.
 7. Pensioner's Association.
- dd.

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

203, बी.टी. रोड, कोलकाता -700 108



सं. सी. 101 / आर.बी.सी

07 नवंबर, 2023


कार्यालय ज्ञापन

विषय : संस्थान के अनुग्रह भुगतान प्राप्तकर्ताओं के संबंध में सी पी एफ लाभार्थियों को महंगाई राहत की मंजूरी - दिनांक 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी संशोधित दर।

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या सी 150/ आर.बी.सी. दिनांक 19 दिसंबर, 2022 का अवलोकन किया जाए। भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन एफ सं.42/04/2023-पी एंड पी डब्ल्यू (डी), दिनांक 06 जुलाई, 2023 साथ ही साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. I-12011/17/2016-आईएसआई (भाग-I) दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. I-12011/17/2016-आईएसआई (भाग-I) दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 के अनुसरण में दिनांक 22 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक में संस्थान के परिषद द्वारा हल किया गया कि संस्थान के रु0 600/- एवं रु0 605/- प्रति माह की दर से अनुग्रह भुगतान प्राप्तकर्ताओं को देय महंगाई राहत की दर दिनांक **01 जनवरी, 2023** से प्रभावी दर के साथ नीचे उल्लिखित दर पर बढ़ाया जाएगा।

- जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18.11.1960 से 31.12.1985 के अवधि के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं एवं संस्थान के कार्यालय ज्ञापन सं. सी 2529/आर.बी.सी. दिनांक 01.07.1998 के अनुसार 01.11.1997 से प्रभावी **600/-** रुपये प्रतिमाह अनुग्रही प्राप्तकर्ता हैं और संस्थान के कार्यालय ज्ञापन सं. सी 18/आरबीसी दिनांक 10.04.2014 के तहत 04 जून, 2013 से प्रभावी ग्रुप ए, बी, सी, एवं डी के लिए क्रमशः संशोधित रुपये **3000, रु0 1000, रु0 750, रु0 650** के प्राप्तकर्ता हैं, **01 जनवरी, 2023** से प्रभावी महंगाई राहत **396%** से बढ़ाकर **412%** के हकदार हैं।
- सी पी एफ लाभार्थियों के विधवाओं एवं आश्रित बच्चों जो 01.01.1986 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 01.01.1986 के पहले सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हो गयी है एवं संस्थान के कार्यालय ज्ञापन सं. सी 2529/आर.बी.सी दिनांक 01.07.1998 के अनुसार **605/-** रु0 प्रतिमाह अनुग्रही भुगतान एवं कार्यालय ज्ञापन सं. सी 18/आर.बी.सी दिनांक 10.04.2014 के तहत 04 जून 2013 से प्रभावी संशोधित **645/- रु0** के प्राप्तकर्ता हैं, वे दिनांक **01 जनवरी, 2023** से प्रभावी तिथि से महंगाई राहत **388%** से बढ़ाकर **404%** के हकदार हैं।
- महंगाई राहत के भुगतान से जुड़े एक रुपये का अंश अगले उच्च रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

यह निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(रविन्द्र कुमार)
मुख्य कार्यपालक (प्रशा. एवं वित्त)

- प्रतिलिपि प्रेषित :
- सभी प्रभागों / विभागों / अनुभागों / यूनिटों आदि एवं बहिर्वर्ती केन्द्रों / कार्यालयों आदि के प्रमुखों को।
 - सेवानिवृत्ति हितलाभ कक्ष को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
 - कार्मिक यूनिट को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
 - लेखा अनुभाग को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
 - निदेशक के कार्यालय को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
 - मुख्य कार्यपालक (प्रशा. एवं वित्त) के कार्यालय को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
 - पेंशनभोगी संघ को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।